//

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

"निर्वाचन तत्काल"

सामान्य निर्वाचन जिला अशोकनगर

कार्यालय दूरभाष (07543) 225510, फैक्स 225510

E-Mail - dmashoknagar@nic.in & deoashoknagar@gmail.com

क्रमांक / सामा.निर्वा. / 2018 / 2136 अशोकनगर, दिनांक 14/08/2018

–: लेखन सामग्री निविदा सूचना :–

आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 के संचालन के दौरान जिले की तीनों विधानसभाओं से संबंधित विषयांकित कार्य हेतु इच्छुक संस्था/व्यक्ति से लेखन सामग्री कार्य के लियें निविदायें दिनांक 30 अगस्त 2018 को अपरान्ह 03:00 बजे तक निम्नांकित शर्तो पर आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन सायं 04:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

निविदा की शर्तें :–

1. निविदा के साथ प्रत्येंक सामग्री का नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक सामग्री किस कंपनी द्वारा निर्मित है सामग्री की साईज एवं बजन आदि की जानकारी दी जाना आवश्यक है।
2. निविदा के साथ प्रतिभूति के रूप में रूपयें 20,000/– (बीस हजार रूपयें मात्र) का राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक ड्राफ्ट जो कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के नाम देय होगा। बिना प्रतिभूति राशि के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3. निर्वाचन का कार्य रात–दिन चलेगा। अतः किसी भी समय सामग्री का मांग पत्र भेजे जाने पर मांग अनुसार सामग्री तत्काल प्रदाय करना होगा।
4. प्रदाय की गई सामग्री नमूने के अनुसार न होने अथवा उसमे निम्न स्तर की होने की दशा में सामग्री निविदाकारों को अपने व्यय पर वापस उठाना होगा तथा निविदा तत्काल निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
5. निविदाकार स्वीकृति की सूचना के पश्चात सामग्री निविदाकार को स्वयं के व्यय पर पहुचाना होगा। मांग पत्र के अनुसार सामग्री सप्लाई न करने की दशा में लेखन सामग्री विक्रेताओं से क्रय कर ली जावेगी तथा उस पर आर्थिक क्षति की राशि निविदाकार से राजस्व वसूली की भांति वसूल की जावेगी।
6. निविदाकार को आयकर का पेन नम्बर/टिन नम्बर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
7. निविदादाता का GST में पंजीयन होना चाहियें।
8. निविदा स्वीकृत होने के बाद यदि निविदादाता द्वारा कार्य नहीं किया गया या बीच में कार्य छोड़ा गया तो उनके बाद वाले निविदादाता से कार्य कराया जायेगा तथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
9. निविदादाता का देयक परीक्षण एवं ऑडिट/अनुमोदन उपरांत स्वीकृत करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल द्वारा प्रदत्त आवंटन के अनुसार भुगतान किया जायेगा जिसमें किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। भुगतान करते समय शासन नियमों के अनुसार समस्त प्रकार के करों की कटौत्री की जावेगी।

Scanned by CamScanner

10. निविदाता किसी भी संस्था/कार्यालय से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहियें। यदि बाद मे यह जानकारी मिलती है कि निविदादाता ने तथ्य छिपाया है उसकी राशि राजसात कर ली जावेगी।

11. कलेक्टर द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में बाद नहीं लाया जा सकेगा।

12. किसी भी वाद–विवाद में कलेक्टर अशोकनगर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

13. निविदा/स्वीकृति/अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर को रहेगा, जिसके लियें किसी भी प्रकार के औचित्य एवं कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी।

(डॉ. मंजू शर्मा)
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

क्रं./सामा.निर्वा./2018/2137   अशोकनगर, दिनांक :– 14/08/2018

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल ।
2. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर ।
3. आयुक्त, जन सम्पर्क, जन सम्पर्क भवन, बाणगंगा रोड़ भोपाल की ओर 05 अतिरिक्त प्रतियों में संलग्न कर समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त जिला मध्यप्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर।
6. समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अशोकनगर।
7. समस्त तहसीलदार जिला अशोकनगर।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला अशोकनगर।
9. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिला अशोकनगर।
10. समस्त सचिव कृषि उपज मण्डी समिति जिला अशोकनगर।
    क्रमांक 5 से 10 की ओर भेजकर लेख है कि उक्त सूचना अपने कार्यालय के नोटिस वोर्ड पर आम जनता के लियें चस्पा करायें।
11. जन सम्पर्क अधिकारी जिला अशोकनगर की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
12. संबंधित फर्म/संस्था..

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

G/s.bairagi election 2018 all nivida

Scanned by CamScanner